तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओंकार V/s राज० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
24/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 30/4/25 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
08/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 02/2023

1. गंगाधर पुत्र शीतेली जाति जाटव निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिए सहायक अभियंता महो0 उच्चैन।

..... असल प्रतिवादी

3. ताराचंद पुत्र पातरिया
4. धनपाल पुत्र शीतेली
5. लालराम पुत्र शीतेली (मृतक)
   5/1 वेदप्रकाश पुत्र लालाराम
6. प्रेमसिंह पुत्र सोनपाल
7. पार्वती पत्नी हुकमसिंह समस्त जातियान जाटव निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

.....तरतीवी प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—05.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि साविक खसरा नम्बर 972 मिन. पीडब्लूयूडी की खातेदारी थी जो कि राजस्व नक्शा व मौके पर रोड के चपेटा पूरव की ओर व समानान्तर स्थित था व साविक उक्त खसरा नम्बर 972 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी के नाम थी जो कि राजस्व नक्शा व मौके पर पीडब्लूयूडी की खातेदारी 972 मिन के चपेटा पूरव की ओर व समानान्तर स्थित थी ये दोनो आराजी राजस्व नक्शा में उच्चैन से खेरिया जाने वाले आम रोड के चपेटा वायीं ओर मुढेरा गॉव निकलते ही स्थित थे। सेटिलमैंट कर्मचारियों ने मौके व राजस्व नक्शा के विपरीत मनमाने तरीके से हमारी बिना जानकारी के सेटिलमेंट के वाद उक्त खसरा नम्बर 972 मिन को 1172 व खसरा नम्बर 972 को 1171 में बदल दिया

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

गया। राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 1172 (साविक खसरा नम्बर 972 मिन पीडब्लूयूडी की खातेदारी) को पहले नक्शा के आधार पर मौके के अनुसार रोड के चपेटा पूरव की ओर समानान्तर दर्ज किया जाना चाहिये था व खसरा नम्बर 1171(साविक खसरा नम्बर 971 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी) को पीडब्लूयूडी के वाद चपेटा पूरव की ओर समानान्तर दर्ज किया जाना चाहिये था बल्कि खसरा नम्बर 1171 (साविक खसरा नम्बर 971) को खसरा नम्बर 1172 पीडब्लूयूडी के बाद पूर्ण खसरा नम्बर को रोड के चपेटा (समानान्तर के स्थान पर लम्बवत) पूरव से पश्चिम दर्ज कर दिया व इसी आधार पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1171 (साविक खसरा नम्बर 971) दर्ज कर दिया है। तहसीलदार उच्चैन से रिकार्ड सही कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने सही करने से मना कर दिया व कोर्ट से आदेश कराने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। तरतीवी अप्रार्थीगण की ओर से श्री जगमीत सिंह एडवोकेट उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मुढेरा के खसरा नम्बर 1171,1172 का अवलोकन किया गया जिसमें वर्तमान जमावंदी संवत् 2075–78 में खसरा नम्बर 1171/0.47है0 गंगाधर पुत्र शीतोली वगै0 जाति जाटव सा.देह खातेदार व 1172/0.26है0 मकवूजा महकमा पीडब्लूयूडी हि. पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है जवकि जमावंदी संवत् 2070–73 में खसरा नम्बर 972/2–18 वीघा (नया खसरा नम्बर 1171) गंगाधर पुत्र शीतोली वगै0 व 972/1/1–12 वीघा (नया खसरा नम्बर 1172) पीडब्लूयूडी के अधीन सरकारी मार्ग सडकें के नाम रिकार्ड में दर्ज है पुराने नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है नये नक्शे में खसरा नम्बर 1171 उत्तर दिशा में स्थित है और खसरा नम्बर 1172 दक्षिण दिशा मे स्थित है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी 1171 प्रार्थी की एवं 1172 पीडब्लूयूडी के नाम दर्ज है यह उच्चैन से मुढेरा रोड पर स्थित है। विवादित आराजी का पुराने नम्बर क्रमशः 972 प्रार्थी को एवं 972/1मि. पीडब्लूयूडी के नाम दर्ज था। सैटलमेंन्ट पूर्व पीडब्लूयूडी का खसरा नम्बर रोड के समानान्तर एवं उसके पीछे प्रार्थी का नम्बर स्थित था। परन्तु दौराने सैटलमेंट प्रार्थी एवं पीडब्लूयूडी के नम्बरों को लम्वत कर दिया जवकि विवादित आराजी पर कब्जा पूर्व के मुताविक ही है। उक्त सैटलमेन्ट के दौरान नक्शें में हुये परिवर्तन के कारण मौके पर प्रार्थी की आराजी कम हो गई है। दौराने सैटलमेंट बनाये गये नये राजस्व नक्शे मे शुद्धि किया जाकर पूर्व की स्थिति वहाल किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जवाव का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

गया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरए के तहत पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा नक्शा शुद्धि की दादरसी चाही गई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई दादरसी धारा 136 एलआरए के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। मेरे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)